


आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ।
28/02/2022	<p style="text-align: center;">प्रमण्डलीय आयुक्त का न्यायालय, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची</p> <p style="text-align: center;">एस0ए0आर0 पुनरीक्षण 112/2008</p> <p style="text-align: center;">सूरजमल प्रसाद व अन्य बनाम सुकरा पाहन, महावीर पाहन व अन्य।</p> <p>प्रश्नगत पुनरीक्षण आवेदन बल्कू राम, दिनेश चौरसिया व कैलाश कुमार चौरसिया के द्वारा सोमरा पाहन, सुकरा पाहन, महावीर पाहन व बलबीर पाहन के विरुद्ध दायर किया गया था, जिसमें अपर समाहर्ता, राँची द्वारा अपील संख्या-42 R 15/2008-09 में पारित आदेश की चुनौती दी गयी थी। इस वाद में पूर्व में 19.01.2021 को उभय पक्षों की सुनवाई करते हुए, लिखित बहस दायर करने हेतु निदेशित किया गया था। उक्त आलोक में उभय पक्षों के तरफ से लिखित बहस दायर भी की गयी, किन्तु पीठासीन पदाधिकारी का स्थानान्तरण होने के कारण अंतिम आदेश पारित नहीं हो सका। इसी क्रम में दिनांक 19.03.2019 को प्रतिवादीगण के तरफ से एक प्रस्ताव न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रस्ताव में यह उल्लेखित है कि प्रश्नगत भूमि जो खाता नं०-126, मौजा- कोकर में अवस्थित है, एक 5 कट्ठा हिस्से को प्रतिवादी को मिले एवं शेष 10 कट्ठा 2 छटाक आवेदकों को मिले जिससे की इस विवाद का निष्पादन हो सकता है। दिनांक 07.12.2021 को इस संबंध में उभय पक्षों को शपथ पत्र दायर करने हेतु निदेशित किया गया था। उक्त आलोक में वादी संख्या 3 के द्वारा प्रतिवादी के इस प्रस्ताव पर सहमति संसूचित की गई। प्रतिवादी संख्या 2 के तरफ से भी शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।</p> <p>प्रश्नगत वाद में विशेष विनियमन पदाधिकारी द्वारा एस0ए0आर0 वाद संख्या-160/2007-8 में उभय पक्षों की सुनवाई के पश्चात् भूमि वापसी का</p>	



आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ।
	<p>आदेश पारित किया गया था। प्रश्नगत भूमि का अंतरण कथित रूप से 1953 में हुआ है तथा 1967 में समझौता के आधार पर एक टाइटल सूट के माध्यम से आवेदक प्रश्नगत भूमि के दखलकार हुए हैं। यह भूमि बकास्त भूईहरी पहनाई, काली कटारी के रूप में खतियान में दर्ज है। उक्त भूमि का गैर आदिवासी व्यक्तियों के साथ हस्तांतरण मूलतः काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है। इसी आधार पर भू-वापसी का आदेश पारित किया गया। अपीलीय न्यायालय द्वारा इसे सुनवाई योग्य नहीं मानते हुए आवेदकों के अपील को खारीज कर दिया गया। इस न्यायालय में उभय पक्षों के द्वारा उक्त भूमि पर समझौता के आधार पर वाद के निष्पादन का अनुरोध किया जा रहा है। आदिवासी भूमि के अवैध हस्तांतरण के मामले में उभय पक्षों के बीच किसी प्रकार का समझौता किया जाना पूर्णतः काश्तकारी अधिनियम के मूल भावना के विपरीत है। प्रश्नगत भूमि धार्मिक रितिरिवाज से जुड़ी हुई भूमि है जिसपर गैर आदिवासी लोगों के द्वारा एक समझौता डिक्री के आधार पर कब्जा किया हुआ है। स्पष्टः ऐसे अनाधिकृत कार्य को किसी भी न्यायालय के द्वारा सम्पुष्ट किया जाना उचित नहीं है। प्रश्नगत पुनरीक्षण आवेदन में ऐसा कोई बिन्दू सन्निहत नहीं है, जिससे की आवेदकों का उक्त भूमि पर अधिकार पुष्ट होता है। वर्ष 1953 में आवेदकों के द्वारा प्रश्नगत भूमि के हस्तांतरण का दावा किया गया है, किन्तु यह हस्तांतरण किस आधार पर किया गया इस विषय पर कोई तथ्य उपलब्ध नहीं है। आवेदकों के द्वारा राँची नगर निगम से निर्गत मुनिसिपल रेन्ट रिसिट प्रस्तुत किये गये हैं जो 1972-73 से प्रारम्भ हुए हैं। इस प्रकार सेडूल ऐरिया रेगुलेशन 1969 के लागू होने के पूर्व निर्माण का दावा भी मान्य नहीं किया जा सकता। प्रश्नगत मामले में 1967 में एक टाइटल सूट 181/1967 दायर किया गया, जिसमें समझौता के आधार पर डिक्री प्राप्त की गई। स्पष्टतः ऐसे डिक्री की कोई वैधानिक मान्यता नहीं है। यह भी स्पष्ट होता है कि 1967 में इस डिक्री को प्राप्त करने के पश्चात् आवेदकों के द्वारा</p>	

112

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ।
	<p>उक्त भूमि पर निर्माण किये गये हैं। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि प्रश्नगत मामलें में भूमि का हस्तांतरण 1967 के आसपास ही हुआ है। अतः भूमि वापसी के दावे को कालबाधित ठहराया जाना भी उचित नहीं है। वर्णित परिस्थिति में इस पुनरीक्षण आवदेन को खारीज किया जाता है। जहाँ तक उभय पक्षों के बीच समझौते का प्रश्न है उक्त कार्य हेतु वे अपने स्तर से निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। न्यायालय द्वारा ऐसे समझौते को मान्यता दिया जाना संभव नहीं है। तदनुसार इस वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है आदेश की एक प्रति उपायुक्त, राँची को प्रेषित करें।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p><i>W. K. M. M. M.</i> प्रमण्डलीय आयुक्त</p> <p><i>W. K. M. M. M.</i> प्रमण्डलीय आयुक्त</p>	